# बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

## अधिसूचना

संख्या–3 / स्था0 रा0 भू0वि0–4020 / 08 95 (3) रा. दिनांक–25.03.2010

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते है; यथा–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–(1) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी;

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी;

   (3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 की नियम–3 का संशोधन :–

उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा; यथा –

(i) "परन्तु यह कि अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में कार्यरत कर्मी जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक एवं समकक्ष तथा इंटर एवं समकक्ष है, उन्हें बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अगले पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु इस नियमावली की अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से निम्न अवधि के अन्तर्गत स्नातक स्तर तक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी –

(i) मैट्रिक एवं समकक्ष योग्यताधारी अंचल निरीक्षक पाँच वर्षो की अवधि में।

(ii) इंटर एवं समकक्ष योग्यताधारी अंचल निरीक्षक तीन वर्षो की अवधि में।

परन्तु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत स्नातक एवं समकक्ष योग्यता प्राप्त करने की स्थिति में उनकी अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में विभाग द्वारा निर्धारित वरीयता बनी रहेगी।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अंचल निरीक्षकों के द्वारा स्नातक एवं समकक्ष योग्यता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में वे अंचलाधिकारी के रैंक या बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अन्य समकक्ष प्रोन्नति के पद के विरूद्ध प्रोन्नति के लिए विचार–योग्य नहीं होगे। ऐसे कर्मी अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में ही बने रहेंगे।"

(ii) उक्त नियम 3 के उपनियम (ख) निम्नलिखित उपनियम (ग) जोड़ा जायेगा :–

"(ग) जब तक राजस्व सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं हो जाती है तब तक के लिए राज्य सरकार नियमावली के अनुसूची (1) में वर्णित सभी पदों पर रिक्तियों को भरने हेतु अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 25/3/10
**(सी0 अशोकवर्धन)**
**प्रधान सचिव**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक–3/स्था0 रा0 भू0वि0–4020/08 95(3) /रा0, पटना–1, दिनांक–25.03.2010

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–4 को (दो सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 250 (दो सौ पचास) मुद्रित प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० 25/3/10
**(सी0 अशोकवर्धन)**
**प्रधान सचिव**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक–3/स्था0 रा0 भू0वि0–4020/08 95(3) /रा0, पटना–1, दिनांक–25.03.2010

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाधयक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी विभागीय निदेशालय/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कोषांग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 25/3/10
**(सी0 अशोकवर्धन)**
**प्रधान सचिव**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।**